न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 34/2023

प्रार्थी — अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी — बनाम — डुंगरराम

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/25		

पत्रावली पेश हुई। प्रकरणा मे तहसीलदार लूणी द्वारा पेश किया गया जिससे कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किया गया समन जारी करने के पश्चात अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवडा द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे बहस हेतु निवेदन किया जाने पर अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि ग्राम लूणी के खसरा नम्बर 593/1 की कृषि भूमि मे से अवैध रूप से चौरी करते हुए खनन माफियाओ द्वारा बजरी का खनन किया गया है जो अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से खनन नही किया गया है। खनन माफियाओ द्वारा इस खसरे की कृषि भूमि पर स्थित पेड पौधो नष्ट कर दिये गये तथा जगह जगह खडडे कर दिये गये जिसके सम्बन्ध मे अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.12.2020 को ही श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लूणी श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता खनन जोधपुर श्रीमान पुलिस थाना लूणी एव तहसीलदार लूणी को अवैध खनन शीध्र बन्द करवाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध खनन नही रोके जाने पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम जोधपुर को दिनाक 29.12.2020 को दी गयी लेकिन उक्त खसरे से अवैध बजरी का खनन नही रोका गया। तब जबावदाता अप्रार्थी द्वारा एक नामजद एफआईआर संख्या 01 दिनाक 04.01.2021 को पुलिस थाना लूणी मे दर्ज करवायी गयी। तथा अप्रार्थी स्वय तहसीलदार लूणी एव आपको भी अवैध खनन माफियाओ के विरूद्व शिकायत की प्रति प्रेषित की गयी थी लेकिन उन्होने खनन माफियाओ के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की उल्टा अप्रार्थी के विरूद्व ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण बनाकर पेश किया गया ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी की विरूद्व पेश किया गया धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मामला नही बनता है । अप्रार्थी के विरूद्व धारा 177 की कार्यवाही निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया।

अतः–तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थी के जबाव के तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी